



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938

No. 61]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

दिल्ली 17 मार्च, 2017

प्रकरण सं. ओ आई-15/2017

विषय: चीन जन गण और टर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डायमिथाइलैसिटामाइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच।

फा. सं. 14/41/2016-डीजीएडी.—मै. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. और मै. बालाजी अमाइन्स लि. (जिसे आगे आवेदक/घरेलू उद्योग कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पाटनरोधी जांच आरंभ करने और चीन जन गण और टर्की (जिन्हें आगे संबद्ध देशों भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित डायमिथाइलैसिटामाइड के आयातों के विषय में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

2. नियमावली में परिभाषितानुसार घरेलू उद्योग के रूप में मै. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. और मै. बालाजी अमाइन्स लि. ने संयुक्त रूप से आवेदन किया है।

3. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। इस प्रकार रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनियों के उत्पादन में घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" शामिल है, वास्तव में घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यथा परिभाषित अनुसार अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में प्रचलित मानदण्डों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पादन चीन जन गण और टर्की (जिसे आगे संबद्ध देशों भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित 'डाईमिथाइलएसिटामाइड [N, N- डाईमिथाइलएसिटामाइड] [जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है] डाईमिथाइलएसिटामाइड CH₃C(O)N(CH₃)₂ फार्मूले वाला कार्बनिक यौगिक है और 'N, N- डाईमिथाइलएसिटामाइड' रसायनिक नाम पद्धति वाला है। बाजार की बोलचाल की भाषा में इसे डीएमएसी या डीएमए जैसे संक्षिप्त रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

5. 'डाईमिथाइलएसिटामाइड' जो विचाराधीन उत्पाद के लिए चिकित्सा उपशीर्षक भी प्रयोग किया जाता है एक स्वच्छ, जल में घुलनशील, पीले द्रव्य का रंगहीन और कमजोर अमाइन युक्त अन्य कार्बनिक तत्व या अमोनियाकल गंध तथा कैमिकल एक्सट्रेक्ट सर्विस (सीएएस) नंबर 127-19.5 युक्त है।

6. संबद्ध वस्तु का प्रयोग एकेलिक फाइबर के विनिर्माण में, पेंट छुटाने के रूप में पॉलिस्टर फिल्म के विनिर्माण में विलायक के रूप में किया जाता है और बहुत तेजी से छुटाने के कारण पेंट स्ट्रीपिंग में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ड्रग इंडस्ट्री में विलायक के साथ-साथ अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह उत्पाद एक खतरनाक रसायन है और सामान्यतः यूएन अनुमोदित एचडीपीई ड्रमों में पैक किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत कार्बनिक रसायन की श्रेणी में आता है और आगे सीमा शुल्क सं. 29241900 के अंतर्गत है जो पीयूसी के लिए एक समर्पित शीर्षक नहीं है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पीयूसी आयात के समय सीमा शुल्क उपशीर्षक 29241900 के अंतर्गत घोषित किया गया है। तथापि, उप शीर्षक संकेतिक मात्र है और पीयूसी के कार्यक्षेत्र के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि पीयूसी का आयात कई अन्य उपशीर्षकों के अंतर्गत भी सूचित किया गया है। याचिका के अनुसार पीयूसी का आयात 29021100, 29051990, 29110090, 29152990, 29153990, 29211110, 29211190, 29212990, 29225090, 29241900, 29242190, 29242990, 29269000 और 20420090 जैसे अन्य उपशीर्षकों के तहत भी हो रहा है।

8. सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के कार्यक्षेत्र तथा सिफारिश हेतु किए जाने वाले किसी भी उपाय के लिए बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसाकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों का प्रतिस्थापनीय उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं।

10. आवेदक ने आगे दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः दोनों को नियमावली के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी भारत में

आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में मानते हैं।

शामिल देश

11. वर्तमान जांच चीन जन गण और टर्की से संबद्ध उत्पाद के पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और इसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाए।

13. आवेदकों ने विधिवत रूप से समायोजित भारत में उत्पादन के लागत की आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया यह जांच शुरू करने के प्रयोजन से आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य माना है।

14. तथापि, प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करते समय उत्पादक/ निर्यातक घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में बिक्री तथा भारत तथा दूसरे देशों में निर्यात से संबंधित प्रचलित बाजार स्थिति प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट करें और पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएं :

क). कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश सहित कीमत, लागत, आदान के संबंध में निर्णय राज्य के दखल दिए बिना हैं और प्रमुख आदानों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त प्रतिबिंबित करती है।

ख). उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति किसी विकृति को वहन नहीं करती।

ग). उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन और संपत्ति कानून के अध्याधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ). विनिमय दर अंतरण बाजार दर पर किए जाते हैं।

निर्यात कीमत

15. आवेदकों ने आवेदन में आईबीआईएस से प्राप्त किए गए आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है क्योंकि उपशीर्षक के लिए डीजीसीआईएंडएस सार आंकड़े केवल पीयूसी से संबंधित नहीं होते और उनके दावों के अनुसार आवेदकों को डीजीसीआईएंडएस लेनदेन वार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथापि, प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए डीजीसीआईएंडएस लेनदेनवार आंकड़े प्राप्त किए हैं और इस जांच के प्रयोजन से उन पर विश्वास किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, डी/ओ प्रभार, संभाल एवं निकासी प्रभार के कारण कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की एक्स-फैक्टरी स्तर से तुलना की गई है जो दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाता है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

17. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप और उत्पादन और खपत के संबंध में, मूल्य ह्रास और मूल्य से कम कीमत पर बिक्री और परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में गिरावट, माल सूची में वृद्धि, पर्याप्त वित्तीय हानि, ऋणात्मक आरओआई, विभिन्न प्रांचलों में ऋणात्मक वृद्धि आदि के संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराए हैं।

पाटनरोधी जांच को आरंभ किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा वहन की जा रही “पर्याप्त क्षति” के प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण हैं।

18. उपरोक्त से प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा तथा प्रभाव को निर्धारित करने के लिए नियमावली के पैरा 5 की शर्तों के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कथित पाटन और विद्यमान क्षति के बीच आकस्मिक कारक तथा पाटनरोधी शुल्क यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, की मात्रा की सिफारिश करने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाता है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. उपरोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

20. आवेदकों ने अपने आवेदन में पीओआई के रूप में 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2016 (15 माह) प्रस्तावित किया था। तथापि, हाल के अधिक आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने हेतु प्राधिकारी ने पीओआई 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2016 (18 माह) निर्धारित की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद के साथ संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार नीचे दिए गए पते पर प्राधिकारी को भेज सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र और तरीके में नीचे दी गई समय सीमा के भीतर भेज सकता है।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अनधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्कालीन मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और अपनी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों को और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियों को इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर दायर करें।

अगोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. यदि प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/अनुरोधों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सैटों में प्रस्तुत करना होगा (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिन्हित अन्य सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित)। आपूर्ति की गई सारी जानकारी से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

26. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करानी होंगी।

27. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचनाप्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

Case No. OI- 15/2017

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Dimethylacetamide' originating in or exported from China PR and Turkey.

F. No 14/41/2016-DGAD: M/s Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd and M/s Balaji Amines Ltd. (hereinafter referred to as the applicants/domestic industry) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of 'Dimethylacetamide' (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Turkey (hereinafter also referred to as the subject countries).

Domestic Industry & Standing

2. The Application has been jointly filed by M/s Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd and M/s Balaji Amines Ltd as the domestic industry as defined in the Rules.

3. The applicants submitted that they are the sole producers of the subject good in India. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant companies constitutes "a major proportion" of the domestic production; in fact 100% share of domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the anti-dumping Rule

Product under consideration

4. The product under consideration is 'Dimethylacetamide' [N, N-Dimethylacetamide] [hereinafter also referred to as "subject goods" or "PUC"] originating in or exported China PR and Turkey [hereinafter also referred to as "subject countries"]. Dimethylacetamide is the organic compound with the formula $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$ and bears the chemical nomenclature 'N, N-Dimethylacetamide'. Abbreviations like DMAC or DMA is also used to denote the product under consideration in the market parlance.

5. 'Dimethylacetamide', which is also the medical subheading used to refer to the PUC, is a clear, colorless to yellow liquid soluble in water and other organic substances with a pale amine like or ammoniacal odor and bears the Chemical Abstract Service (CAS) number 127-19.5.

6. The subject goods is used as a solvent in the manufacture of Acrylic fibre, solvent in the manufacture of polyester films, as a paint remover, and used as a solvent in Paint stripping because of its very rapid removal action and used both as a solvent as well as reactant in drug industry. The product is a hazardous chemical and is generally packed in UN approved HDPE drums.

7. Product under consideration is an organic chemical falling under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under custom sub-heading no. 29241900 which is not a dedicated subheading for the PUC. The petitioner submitted that the PUC is primarily declared under Customs subheading 29241900 at the time of imports however, the subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the imports of PUC are reported under numerous other subheadings also. As per the petition, the imports of the PUC have been taking place under other subheadings also such as 29021100, 29051990, 29110090, 29152990, 29153990, 29211110, 29211190, 29212990, 29225090, 29241900, 29242190, 29242990, 29269000 and 20420090.

8. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and any measures to be recommended to be imposed.

Like Article

9. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

10. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant domestic industry in India as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject countries.

Countries involved

11. The present investigation is in respect of dumping of the product under consideration from China PR and Turkey.

Normal Value

12. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and its normal value be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

13. The applicants have claimed normal value for subject countries on the basis of cost of production in India, duly adjusted. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

14. However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to

India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- b) Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Export Price

15. The applicants have determined the export price on the basis of import data procured from IBIS in the application since the DGCIS summary data for the subheading does not pertain solely to the PUC and the DGCIS transaction wise data was not available to the applicants as per their claims. However, the Authority has obtained DGCIS transaction wise import data for the PUC and the same is relied upon for the purpose of this initiation. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight, Marine insurance, Inland freight, D/O Charges, Handling & clearing charges.

Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of both the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the producers/exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

17. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in capacity utilisation, increase in inventories, significant financial losses, negative ROI, negative growth in various parameters etc. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

18. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigation

19. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates antidumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Period of Investigation (POI)

20. The applicants had proposed 1st April 2015 to June 30th 2016 (15 months) as the POI in their application. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more recent data, the Authority determines the POI as 1st April 2015 to September 30th 2016 (18 months). The injury investigation period will however, cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI.

Submission of information

21. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi - 110001.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

23. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

25. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

26. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non- confidential version must be submitted by all the interested parties.

27. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide

necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority